कार्यालय पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-एक, तृतीय तल, नया रायपुर

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक: **3049**
संदर्भ क्रमांक: **2946778590**

संशोधन क्रमांक: **122201080992001**
दिनाँक: **21/01/2020**

// आदेश //

संस्था SARVTOMUKHI SAMADHAN SIKSHA SANSKAR SAMITI, RAIPUR पता- Shri Avinash Tiwari, Samadhan College , Samriddhi Vihar Phase-1, Vill - Fari, Post Bijabhat, Teh- Bemetara, Dist - Bemetara (C.G.)491335 तहसील Bemetara जिला Bemetara पंजीयन क्रमांक 3049 दिनांक 02/09/2010 द्वारा पंजीकृत संस्था हैं, जिस पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित नियम 1998 के समस्त प्रावधान प्रभावशील हैं|

उक्त संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 10/13 के प्रावधानों के अंतर्गत नियम-9 के निर्धारित प्रारूप में पता में संशोधन का प्रस्ताव दिनांक 21/01/2020 को प्रस्तुत किया गया है, इसके साथ संशोधन हेतु आयोजित कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 29/05/2018 आमसभा की बैठक दिनांक 04/02/2019 की प्रति संलग्न किया गया है| संशोधन हेतु निर्धारित मद में संशोधन शुल्क रूपये 1000.00/- का ऑनलाइन चालान प्रस्तुत किया गया है |

संशोधित नियमावली में तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरित प्रति भी प्रस्तुत किया गया है| परीक्षण उपरांत प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृत किया जाता है|

प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप इसके पूर्व के प्रचलित ज्ञापन एवं नियमावली स्वमेव निरस्त मानी जावेगी| भविष्य में संशोधित नियमों का दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित किया जावे|

एन. के. नारनवरे
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन-
अध्यक्ष / सचिव SARVTOMUKHI SAMADHAN SIKSHA SANSKAR SAMITI, RAIPUR की ओर पालनार्थ प्रेषित

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

This is computer generated certificate and does not require seal and signature. This certificate can be verified online at http://rfas.cg.nic.in/ through Certificate No. and Reference No.

Digitally signed by NARENDRA KUMAR NARNAWARE
Date: 2020.01.21 16:11:11 +05:30
Reason: For Issuing Amendment in Registered Society
Location: State Society

SOCIETY REGISTRATION CERTIFICATE & BYE-LAWS

जावक क्रमांक 4461/10
दिनांक 03/09/10

प्ररूप दो

(नियम 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण – पत्र

क्रमांक छ.ग. राज्य- 3049

यह प्रमाणित किया जाता है कि सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति, रायपुर सोसायटी, जो द्वारा/श्री अवधेश पटेल 34 साँई रेसिडेंसी लालपुर एम.एम.आई. हास्पीटल के पीछे तहसील रायपुर जिला रायपुर में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 2-9-2010 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

उप पंजीयक रायपुर छत्तीसगढ़
मुद्रा

(डी.डी. महन्त) 2/9/10
समितियों के डिप्टी रजिस्ट्रार
सोसायटियों का रजिस्ट्रार

संशोधित - नियमावली

1. संस्था का नाम – सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति, बेमेतरा (छ.ग.)
2. संस्था का कार्यालय – समाधान महाविद्यालय, समृद्धि विहार फेस 1– ग्राम–फरी, पोस्ट– बीजाभाट, तहसील– बेमेतरा, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) 491335
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण छ.ग. राज्य होगा.
4. संस्था का उद्देश्य (जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वह लिखे)
   1. शिक्षण संस्थाओं का स्थापना कर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
   2. चेतना विकास मूल्य शिक्षा को विभिन्न निजी एवं गैर सरकारी व सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कराना व प्रशिक्षक तैयार करना।
   3. छात्र–छात्राओं को स्वरोजगार संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना।
   4. छात्र–छात्राओं को रोजगार पुरक जानकारी उपलब्ध कराना तथा उन्हें केरियर निर्माण संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करना।
   5. कम्प्यूटर शिक्षा के माध्यम से संस्था, समाज के गरीब, पिछड़े मध्यमवर्गीय, अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं, विधवा एवं परित्यकता महिलाओं, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना तथा कम्प्यूटर शिक्षा प्रचार प्रसार करना तथा कम्प्यूटर शिक्षण संस्थान की स्थापना करना।
   6. क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मंच प्रदान तथा विभिन्न खेल शिविर व प्रशिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिपादन हेतु प्रशिक्षित करना।
   7. प्राकृतिक आपदाओं में सेवा कार्य संचालित करना।
   8. समय–समय पर धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

9. युवाओं एवं ग्रामीणों के स्वास्थ्य मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक, साहित्यिक, कीड़ा और ग्रामीणों संसाधनों का विकास करना।

10. स्वास्थ्य सुविधा, बल विकास, जनसंख्या नियंत्रण, महिला विकास, ग्रामीण विकास, आदिवासी विकास जैसे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों जो कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार, विदेशी संस्थाओं तथा संगठनों द्वारा संचालित है, के क्रियान्वयन व संचालन में सहभागिता प्रदान करना।

11. विकलांग, अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, अंधा मूक बाधिर युवक–युवतियों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना तथा उन्हे विभिन्न स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

12. वृद्ध, परित्यकता, निराश्रित महिलाओं तथा बाल श्रमिक बच्चों के पुर्नवास की व्यवस्था करना।

13. राज्य से संबंधित विभिन्न – ऑकड़ों के संकलन हेतु सर्वेक्षण कार्यों का आयोजन, विभिन्न कल्याणकारी तथा विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में सहयोग प्रदान करना।

14. वर्तमान परिवेश में पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आवश्यक कदम उठाना, जिसके तहत् वृक्षारोपन, ध्वनि एवं जल प्रदूषण, भूमि क्षरण की रोक शुद्ध वातावरण के निर्माण हेतु जल ग्रहण आदि से संबंधित आवश्यक कार्य करना।

15. साक्षरता वृद्धि के प्रयास करना तथा प्रौढ़ शिक्षा एवं महिला साक्षरता को बढ़ावा देना।

16. महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई तथा अन्य स्वरोजगार संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

17. सुगंधित पुष्प, फल आदि का उत्पादन व प्रशिक्षण कार्य संचालित करना।

18. आयुर्वेदिक औषधीय कृषि प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रशिक्षण प्रबंध करना।

19. सभी प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु संबंधित संस्थाओं से मान्यता एवं स्वीकृत प्राप्त करने के लिये देशी एवं विदेशी संस्थाओं के साथ आवदेन करना।

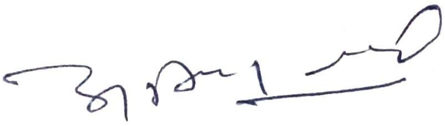

20. सरकारी गैर सरकारी स्थानी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त के लिए आवेदन करना एवं निर्देशित मार्गदर्शन का पालन करना।

21. समिति के समस्त कार्य कलाप अलाभकारी (NOT FOR PROFIT) होंगे

5. सदस्यता :– संस्था के निम्न श्रेणी के सदस्य होंगें।

(अ) **संरक्षण सदस्य :–** संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 10000/– या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षण सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्य :–** जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 5000/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) **साधारण सदस्यः–** जो व्यक्ति 100/– माह रूपये 1200/– प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा, साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक दिये चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) **सम्मानीय सदस्य :–** संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती हैं ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु उनकी मत देने का अधिकार होगा.

6. **सदस्यता की प्राप्ति :–** प्रत्येक व्यक्ति जो समिति सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा. ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगी जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा.

7. **सदस्यों की योग्यता :–** संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :–

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो. (2) भारतीय नागरिक हो. (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो. (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

8. **सदस्यता की समाप्ति** :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :– (1) मृत्यु हो जाने पर, (2) पागल हो जाने पर, (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर, (4) त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर, (5) चारीत्रिक दोष होन पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा.

9. **संस्था कार्यालय में सदसय पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगें** :–

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय

(2) वह तारिख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.

(3) वह तारिख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो.

(4) सदस्यों के हस्ताक्षर

10. **(अ) साधारण सभा** :– साधारण सभाा में नियम 5 दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे. समाधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी. परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी. बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी. बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा. संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी. उसमें संस्था के पदाधिकारियों को विधिवत निर्वाचन किया जावेगा यादि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :– प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी. बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी. यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की

जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नही होगी।.

(स) विशेष :— यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनक दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी. विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा. पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य** :— (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना. (ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना. (स) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना. (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो. (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना. (छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रबंधकारिणी का गठन** :— ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा.

    (1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2.

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल** :— प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होन पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता. करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य है.

14. **प्रबंधकाररिणी के अधिकार व कर्तव्य** :—

(अ) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(ब) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल–अचल संपत्ति

(स) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(द) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारराण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए.

(ध) संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी.

(न) संस्था द्वारा कोई भी स्थावार संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी.

(प) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा.

15. **अध्यक्ष के अधिकार :–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारी समिति की समस्त बैठकों का आयोजन करवायेगा. अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा.

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार :–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की. समस्त बैठकों की अध्यक्षा करेगा. अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा.

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार :–**

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना.

(2) समिति की आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना.

Bpatel

Spatel

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना. उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसी सूचना प्रबंधकारिणी को देना.

18. संयुक्त सचिव के अधिकार :– सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा.

19. कोषाध्यक्ष के अधिकार :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना.

20. बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूची बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी. धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा. दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपयें 2500/– रहेंगे.

21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :– अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनों से 45 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखामय–नियम शुल्क के साथ भेजेगी.

22. संशोधन :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा. यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा. संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय – नियम शुक्ल सहित प्रस्तुत की जायेगी.

23. विघटन :– संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. संपत्ति :– संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी. संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रकय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियम शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी.

25. बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट–आफिस में खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी.

26. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसर पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा. साथ यही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा.

27. विवाद :– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा. यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे. रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा. संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा.